

(ख) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति की जांच के लिए वहां कोई संसदीय दल भेजेगी; और

(ग) उत्तर प्रदेश में हो रहे अपराधों का केन्द्रीय सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) पंचायती चुनावों के दौरान जनता के कुछेक वर्गों के विरुद्ध किए गए अपराध के विशिष्ट मामलों की जांच करने और जनता में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जांच करने के लिए जून, 1998 में एक केन्द्रीय दल को पश्चिम बंगाल भेजा गया था।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है।

(ग) अपराधों की जांच करना और उन्हें रोकने की जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों की है। राज्य में हो रहे अपराधों और केन्द्र सरकार पर उसके प्रभाव के बीच कोई सीधा या आवश्यक संबंध नहीं दिखायी पड़ता है।

Privatisation of Generation and distribution of Electricity

*515. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to privatise *the* generation and distribution of electricity;

(b) if so, the response of the private sector thereto;

(c) the states where these have been privatised so far; and

(d) the policy of the Government thereon?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) to (d) The existing policy of the Government permits private sector participation in the generation and distribution of electricity. The response of the private generating companies has been quite encouraging with projects having been/being set up in

different parts of the country. A number of states have proposed to set up generating companies in the private sector. The Central Electricity Authority has approved private generating power projects in the states of Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Orissa, West Bengal and Bihar.

Distribution of Electricity is the responsibility of the State Government and the private distribution companies operate in the states as licensees. The existing private licensee companies are operating in certain specified areas in the states of Maharashtra, Gujarat, West Bengal and Uttar Pradesh. Government of India is in favour of greater private participation in distribution so as to induct more resources into the Sector and improve the services to the consumers.

1984 Convention against torture and Inhuman punishment

*516. PROF. A. LAKSHMI SAGAR: SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that sometime in December 1994, the National Human Rights Commission had suggested Government to accept the 1984 convention against torture and other inhuman and degrading treatment of punishment;

(b) if so, considering the fact that torture leading to deaths in judicial custody by investigating authorities has been on the increase. Government have considered the question of ratifying the international convention against torture with a view to bring about reforms in the system;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if answer to (b) is in negative, whether Government propose to consider the matter?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Government signed on 14th October, 1997 the UN Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. The question of ratifying the Convention is engaging the attention of the Government.

(d) In view of the reply given to (b) & (c) above, does not arise.

मध्य प्रदेश से सशस्त्र बलों में भर्ती

*517. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रक्षा सेनाओं के तीनों स्कंधों में मध्य प्रदेश से की गई भर्ती का वर्ष-वार, श्रेणी-वार और स्कंध-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश से की गई भर्तियों की कुल संख्या अन्य राज्यों से की गई भर्तियों की संख्या की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी और ग्रामीण युवकों को भर्ती में प्राथमिकता दी जाती है; और

(ङ) मध्य प्रदेश में कुल कितने भर्ती केन्द्र हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितने केन्द्रों से भर्ती की गई?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज): (क) से (ङ) 1. सेना, नौसेना और वायुसेना में अफसरों की भरती अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाती है। मध्य प्रदेश से तीनों सेनाओं में भर्ती किये गए अफसरों के बारे में जानकारी देना संभव नहीं है।

2. पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश से भरती किए गए अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों की संख्या इस प्रकार है:—

| सेना | | नौसेना | | वायुसेना | |
|---------|----------------------------------|---------|----------------------------------|----------|----------------------------------|
| वर्ष | भर्ती किए गए कार्मिकों की संख्या | वर्ष | भर्ती किए गए कार्मिकों की संख्या | वर्ष | भर्ती किए गए कार्मिकों की संख्या |
| 1994-95 | 2086 | 1995-96 | 19 | 1995-96 | 39 |
| 1995-96 | 2137 | 1996-97 | 19 | 1996-97 | 25 |
| 1996-97 | 1754 | 1997-98 | 24 | 1997-98 | 26 |

3. नौसेना और वायुसेना में अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों की भरती अखिल भारतीय योग्यता सूची के आधार पर की जाती है। सेना में अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों की भर्ती राज्यवार कोटे के आधार पर भरती योग्य पुरुष जनसंख्या के समानुपात में की जाती है। सेना में मध्य प्रदेश से अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों की भरती, भरती योग्य पुरुष जनसंख्या के आधार पर उस राज्य के विहित कोटे से कम है। जैसाकि सेना मुख्यालय ने बताया है कि मध्य प्रदेश से अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों को भरती में कमी आने के कारण इस प्रकार हैं:—

(1) निम्न शैक्षिक स्तर।

(2) युवाओं में उत्साह की कमी।

(3) भरती के लिए रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थियों का शारिरिक तथा स्वास्थ्य स्तर उपयुक्त न होने के कारण अभ्यर्थियों को नामंजूर किया जाना।

4. मध्य प्रदेश से भरती में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए गए हैं:—

(1) सिविल प्रशासन के माध्यम से व्यापक प्रचार।

(2) अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग कक्षाएं चलाने के वास्ते राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

5. आदिवासियों की भरती में वृद्धि करने की दृष्टि से उन्हें शैक्षिक योग्यता में छूट दी गई है जो अब दसवीं कक्षा के स्थान पर पांचवीं कक्षा रखी गई है।